

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2014—श्रावण 10, शक 1936

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2014

क्र. एफ-3-02-2011-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, भाग—ग में,—

(एक) अनुक्रमांक 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए ;

(दो) अनुक्रमांक 13 की प्रविष्टि में, शब्द “अन्य” का लोप किया जाए .

2. यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

No. F-3-02-2011-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, makes the following amendment in the schedule to the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said Act, in the Schedule, in Part-C,—

(i) serial number 12 and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) in entry of Serial number 13, the word “other” shall be omitted.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.